अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3179,49,00		3179,50,00	1393,06,15	-1786,43,85
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1786,43,84
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			3,75,00	2,95,26	-79,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					79,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	3362.00	3912.76	3912.77	+0.01
पु.	R.	550.76			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	166744.00	17508.62	17508.61	-0.01
पु.	R.	-149235.38			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	60255.00	34559.99	34559.98	-0.01
पु.	R.	-25695.01			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	31870.00	..	..	..
पु.	R.	-31870.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	52712.00			
पू.	S.	1.00	83324.79	83324.79	..
पु.	R.	30611.79			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	3006.00	..	..	..
पु.	R.	-3006.00			

(I) ₹60136.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इसमें से ₹59381.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹60136.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹59381.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम" –

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" -

(क) "विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी" – ₹1530.00 लाख छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित न होने के कारण थे।

(a) "Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies" - ₹1530.00 lakhs - due to non-approval of the scholarship scheme.

(ख) "शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना" – ₹600.00 लाख व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और पिछले वित्तीय वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्रों के लंबित रहने के कारण थे।

(b) "Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana (SWSVY)" - ₹600.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals and pendency of utilization certificates of the previous financial year.

(ग) "पीएम–विकास" – ₹22951.00 लाख योजना शुरू न होने के कारण थे।

(c) "PM-VIKAS" - ₹22951.00 lakhs - due to non-rollout of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "सामान्य (एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण) – अन्य व्यय" –

(B) Major Head "2552" - "General (Welfare of SC, ST, OBC and Minorities) - Other Expenditure" -

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता–सह–साधन छात्रवृत्ति" – ₹600.00 लाख;

(a) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities" - ₹600.00 lakhs;

(ख) "अल्पसंख्यकों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति" – ₹5300.00 लाख; और

(ग) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" – ₹11300.00 लाख।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाओं को अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुईं।

(घ) "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹9100.00 लाख; और

(ड.) "पीएम–विकास प्रतिबद्ध देयता" – ₹2408.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(च) "पीएम–विकास" – ₹2592.00 लाख योजना शुरू न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम"– ₹3000.00 लाख योजना मांग आधारित होने की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹15237.54 लाख की बचत (₹27556.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और पेशेवर सेवाओं, विज्ञापन और प्रचार और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Pre-Matric scholarship for Minorities" - ₹5300.00 lakhs; and

(c) "Post-Matric Scholarship for Minorities" - ₹11300.00 lakhs.

Savings under above three heads were due to non-approval of the scholarship schemes.

(d) "Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)" - ₹9100.00 lakhs; and

(e) "PM-VIKAS Committed Liability" - ₹2408.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(f) "PM-VIKAS" - ₹2592.00 lakhs - due to non-roll out of the scheme.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)" - ₹3000.00 lakhs - due to no demand from Union Territories, the scheme being demand driven.

(II) Under Major Head "2225" - "Welfare of Minorities" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)" - saving of ₹15237.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27556.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for infrastructure projects from Union Territories without legislature and requirement of less funds towards professional services, Advertisement

and Publicity and other establishment related expenses.

(खा) "शिक्षा" –

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता–सह–साधन छात्रवृत्ति" – ₹2147.06 लाख की बचत (₹2478.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अल्पसंख्यकों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति" – ₹26893.75 लाख की बचत (₹27015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति" – ₹102271.62 लाख की बचत (₹102736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप" – ₹1508.00 लाख की बचत (₹4008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत छात्रवृत्ति योजनाओं को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(ड.) "निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम" – ₹714.50 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना बंद होने तथा प्रतिबद्ध देयताओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की योजना" – ₹844.13 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम पेशेवरों की भर्ती, व्यवहार्य प्रस्ताव और पिछले

(B) "Education" -

(a) "Merit-Cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities" - saving of ₹2147.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2478.00 lakhs);

(b) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" - saving of ₹26893.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27015.00 lakhs);

(c) "Post-Matric Scholarship for Minorities" - saving of ₹102271.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102736.00 lakhs); and

(d) "Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" - saving of ₹1508.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4008.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-approval of the scholarship schemes.

(e) "Free Coaching and Allied Scheme" - saving of ₹714.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to discontinuation of the scheme and requirement of less funds towards committed liabilities.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Qaumi Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS)" - saving of ₹844.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to

वर्षों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

hiring of less professionals, non-receipt of viable proposals and utilization certificates of previous years.

(खा) "पीएम–विकास प्रतिबद्ध देयताएं" – ₹1713.94 लाख की बचत (₹22049.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति और पेशेवरों की कम भर्ती होने के कारण हुई।

(B) "PM-VIKAS Committed Liabilities" - saving of ₹1713.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22049.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards committed liabilities and less hiring of professionals.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं– केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – शिक्षा, सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका तथा अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹980.21 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति योजना अनुमोदित न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Education Empowerment, Skill Development and Livelihoods and Special Programmes of Minorities" - saving of ₹980.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-approval of the scholarship scheme.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹250.03 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत है।

(V) Under one head saving of ₹250.03 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹31770.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च, 2025 में मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹31770.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2025 under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय" – ₹550.77 लाख का अधिक व्यय (₹3362.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने और स्थापना व्यय, मंत्री के कार्यालय का नवीकरण, फर्नीचर, वेबसाइट के विकास और रखरखाव और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की बैठकों पर व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Minority Affairs" - excess of ₹550.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3362.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards establishment expenses, renovation of Minister's office, furniture, development and maintenance of website and expenditure on JPC meetings on Waqf (Amendment) Bill.

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम" –

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान" – ₹611.90 लाख का अधिक व्यय (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन एवं प्रचार और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के व्यापक प्रचार हेतु मीडिया टीम की भर्ती के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना" – ₹1722.55 लाख का अधिक व्यय (₹9025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज, 2024 की देनदारियों के निर्वहन और हज, 2025 के लिए प्रारंभिक कार्य अर्थात सऊदी परिवहन कंपनियों को अनिवार्य अग्रिम और प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों के आवास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹79.75 लाख) ₹79.74 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹175.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" -

(a) "Media Campaign for Minorities" - excess of ₹611.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards advertising and publicity and hiring of media team for wider publicity to the Waqf (Amendment) Bill, 2025.

(b) "Establishment of Consulate General of India Jeddah" - excess of ₹1722.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9025.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards discharge of liabilities for Haj, 2024 and preparatory work for Haj, 2025 viz. mandatory advances to Saudi transport companies and accommodation for deputationists.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹79.75 lakhs) exceeded the overall savings of ₹79.74 lakhs.

(I) Under one head provision of ₹175.00 lakhs remained wholly unutilized.